Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

□ वर्ष- 28 □ अंक- 345 □ रायपुर, शुक्रवार 9 जनवरी 2026 □ पृष्ठ-8 □ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू, राबड़ी मीसा भारती, तेजस्वी यादव पर आरोप तय

कोर्ट से लालू यादव के परिवार को बड़ा झटका

नई दिल्ली, 9 जनवरी (न्यूज चैनल)। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े कथित घोटाले के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, बेटे तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि पूर्व रेल मंत्री लालू यादव ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया। यादव परिवार ने रेल अधिकारियों और अपने करीबी सहयोगियों की मिलीभगत से जमीनें हासिल की। अदालत ने इस मामले में 41 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए और 52 लोगों को बरी कर दिया, जिनमें रेल अधिकारी भी शामिल थे। सीबीआई की चार्जशीट में नामित 103 आरोपियों में से पांच की मृत्यु हो चुकी है। अधिवक्ता अजाज अहमद ने कहा, सीबीआई अदालत ने लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और हेमा यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120बी और 13 के तहत आरोप तय किए हैं। आरोप 29 जनवरी को तय किए जाएंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया फरमान

तबादले वाली जगह पर 13 तक ज्वाइन नहीं किया तो होगी कार्रवाई

रायपुर, 9 जनवरी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के सचिवों को पत्र लिखकर 13 जनवरी 2026 तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी समय सीमा तक जॉइनिंग नहीं करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार, राज्य के विभिन्न विभागों में कई मामलों में ट्रांसफर आदेश जारी होने के बावजूद अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जा रहा है। इसका नकारात्मक प्रभाव जिलों में संचालित जनहित योजनाओं और सेवाओं पर पड़ रहा है। इस कारण सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया कि सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को नई पोस्टिंग पर समय पर जॉइनिंग देनी अनिवार्य होगी। निर्देश में कहा गया है कि ऐसे अधिकारी और कर्मचारी, जो स्थानांतरण के बाद अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं कर चुके हैं, उन्हें तत्काल रूप से कार्यमुक्त किया जाए। साथ ही, उन्हें कड़ा निर्देश दिया जाए कि वे 13 जनवरी 2026 तक नवीन पदस्थापना स्थल पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें। यदि कोई निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ब्रेकिंग न्यूज

जस्टिस दीपक कुमार तिवारी आज होंगे रिटायर

बिलासपुर, 9 जनवरी (हाईवे चैनल)। हाईकोर्ट में 31 जुलाई, 2023 को स्थायी जज के रूप में शपथ लेने वाले जस्टिस दीपक कुमार तिवारी आज रिटायर होंगे. शुक्रवार को सेवा अवधि पूरी होने पर विदाई समारोह आयोजित की जाएगी. दोपहर 3.30 बजे चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम-1 में कार्यक्रम रखा गया है. बता दें कि वह अक्टूबर 2021 में हाईकोर्ट के एडिशनल जज बने थे.

राहुल गांधी का भाजपा पर तीखा हमला, कहा-लोगों की जिंदगी की तबाह; लगाए सिलसिलेवार आरोप

नई दिल्ली, 9 जनवरी (न्यूज चैनल)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमलावर हैं। एक दिन पहले जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ट्रंप के टैरिफ को लेकर कड़ा निशाना साधा था। वहीं अब उन्होंने एक लंबे-चौड़े एक्स पोस्ट के जरिए भाजपा शासित राज्यों पर सिलसिलेवार हमला किया है। कांग्रेस सांसद ने शुक्रवार को अपने बयान में आरोप लगाते हुए कहा कि देशभर में भ्रष्ट जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने जनता की जिंदगी तबाह कर दी है। राहुल गांधी ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के साथ सत्ता का दुरुपयोग और अहंकार का जहर भाजपा की राजनीति में ऊपर से नीचे तक फैल चुका है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा, इनके सिस्टम में गरीब, असहाय, मजदूर और मध्यमवर्ग की जिंदगी सिर्फ आंकड़ा है और विकास के नाम पर वसूली-तंत्र चल रहा है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया - लेकिन सवाल आज भी वही है- सत्ता का संरक्षण भाजपा के किस वीआईपी को बचा रहा है? कानून सबके लिए बराबर कब होगा?

हिमाचल में बजेगा चुनावी बिगुल 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव कराने के आदेश जारी

नई दिल्ली, 9 जनवरी (न्यूज चैनल)। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार की 'इंतजार करो' की रणनीति पर हाईकोर्ट ने विराम लगा दिया है। पंचायत चुनावों को आगे खिसकाने की सरकार की योजना को बड़ा झटका देते हुए, अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि गांव की सरकार चुनने में अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

यह फैसला न केवल प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा करने वाला है, बल्कि स्थानीय शासन की स्वायत्तता को लेकर एक बड़ा संदेश भी है। न्यायालय ने लगातार तीन दिनों तक चली सघन दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित नहीं रखा, बल्कि सरकार को कड़े निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया 30 अप्रैल से पहले संपन्न करा ली।

चूहा- सुनती हो, महाराष्ट्र अंबरनाथ नगर पालिका परिषद के 12 कांग्रेसी पार्षद भाजपा में शामिल हो गए।

चुहिया- हां जी, लोग नाहक ही हल्ला कर रहे थे कि कांग्रेस-भाजपा का गठबंधन हो गया।

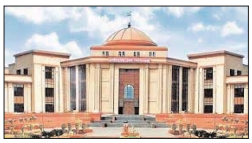

छत्तीसगढ़ में शिक्षक प्रमोशन पर हाईकोर्ट की सख्ती; पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक

रायपुर, 9 जनवरी (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग में चल रही पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्राथमिक शाला के हेड मास्टर से लेक्चरर पद पर पदोन्नति से संबंधित मामलों में अंतरिम आदेश जारी करते हुए 22 दिसंबर 2025 को हुई विभागीय पदोन्नति समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता बृजेश मिश्रा एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि वे वर्ष 2010 से हेड मास्टर प्राथमिक के पद पर कार्यरत हैं। 1 जनवरी 2022 को आयोजित डीपीसी में उन्हें पदोन्नति के लिए योग्य भी घोषित किया गया था, लेकिन कुछ याचिकाओं के लंबित रहने के कारण उस समय पदोन्नति आदेश जारी नहीं हो सके। याचिका में बताया गया कि संबंधित प्रकरणों का 9 मार्च 2023 को अंतरिम निराकरण हो गया था, जिसके बाद पदोन्नति में कोई कानूनी अड़चन शेष नहीं रही। इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने 2022 की डीपीसी को लागू नहीं किया, जो याचिकाकर्ताओं के साथ अन्याय है।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि कोर्ट में मामला लंबित रहते हुए वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिए बिना नया नियम लागू कर दिया गया, जो नियमों के खिलाफ है। याचिका में यह भी कहा गया कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक व प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 का उल्लंघन करते हुए 22 दिसंबर 2025 को नया नियम लागू किया गया, जिसमें केवल शिक्षक एलबी संवर्ग को शामिल किया गया। ई संवर्ग के नियमित शिक्षकों को पूरी तरह बाहर कर दिया गया, जो नियमों और समानता के सिद्धांत के विपरीत है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने पदोन्नति प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब इस प्रकरण में आगे की सुनवाई के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

हाईवा ने कार को मारी टक्कर, चार गंभीर

बिलासपुर, 9 जनवरी (हाईवे चैनल)। सरकंडा के नूतन चौक के पास तेज रफ्तार कार को ओवरटेक के चक्कर में हाईवा के ड्राइवर ने टक्कर मार दी। इससे कार सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गया। इसकी सूचना पर पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई। पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने गंभीर रूप से घायल युवकों को अस्पताल भेजा। इसके बाद कार में फंसी युवती को निकालने में मशक्कत करती रही।

बताया जाता है कि कार की सीट और सामने के हिस्से में फंसी युवती को निकालने के लिए पेट्रोलिंग टीम में तैनात जवान मशक्कत करते रहे। साथ ही गैस कटर को मंगवाया गया। गैस कटर के आने के बाद युवती को निकालने देर रात तक पुलिस की टीम जुटी रही। इसी दौरान पुलिस की टीम ने तार से बांधकर कार के सामने के हिस्से को खींचने की कोशिश की। इससे कार में थोड़ी जगह बन गई। इसी से युवती को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया है। कार सवार युवती समेत चारों की हालत गंभीर है। इसके कारण उनकी पहचान नहीं हो पाई है।

पुरानी पालिसी अपडेट कराने का झांसा, 11 लाख की ठगी

बिलासपुर, 9 जनवरी (हाईवे चैनल)। अलग अलग दो मामलों में मोबाइल हैक कर महिला से 5 लाख 76 हजार व पुरानी पालिसी अपडेट कराने का झांसा देकर 5 लाख रुपए की आनलाइन ठगी कर ली गई है। पुलिस दोनों मामलों में अपराध कायम कर जांच में जुट गई है। सकरी पुलिस के अनुसार, एमजी होम्स मकान नंबर सी 2 निवासी रिटायर्ड उपसंचालक अभियोजन गया प्रसाद मालवीय ने रिपोर्ट लिखाई।

बंगाल में ईडी की कार्रवाई का दिल्ली तक विरोध, महुआ मोइत्रा समेत कई सांसद सड़कों पर; सरकार को घेरा

नई दिल्ली, 9 जनवरी (न्यूज चैनल)। टीएमसी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां चुनाव से पहले पार्टी के रणनीतिक दस्तावेजों तथा डेटा को हाथ लगाने की कोशिश कर रही हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और गरमाया गया है। पार्टी का कहना है कि यह कार्रवाई चुनाव वर्ष में राजनीतिक दबाव पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। दिल्ली समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसमें टीएमसी नेताओं ने प्रवर्तन निदेशालय की आई पीएसी के खिलाफ छापेमारी का विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर कड़ी टिप्पणियां कीं।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने आई-पैक पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। टीएमसी की याचिका में कहा गया है कि पार्टी पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी, जिसके चलते ईडी ने पार्टी के राजनीतिक रणनीति कार्यालय और इसके सह-संस्थापक के निवास पर छापेमारी की। याचिका में यह भी कहा गया है कि गोपनीय डेटा और दस्तावेजों को अवैध रूप से जब्त किया गया, जो कानून के खिलाफ है। टीएमसी ने अदालत से ईडी की कार्रवाई को रोकने और अवैध दस्तावेज जब्ती को रद्द करने की मांग की है।

मुझे हटाए बिना अध्यक्ष की घोषणा वैधानिक नहीं : बृजमोहन

सांसद ने जंबूरी परिषद विवाद पर दिया बड़ा बयान

रायपुर, 9 जनवरी (हाईवे चैनल)। राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी को लेकर गरमाई सियासत पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली प्रवास से देर रात रायपुर लौटने के बाद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि परिषद में वैधानिक प्रक्रिया की अनदेखी की गई। वैधानिक अध्यक्ष होने के बावजूद उन्हें हटाए बिना नए अध्यक्ष की घोषणा करना नियमों के खिलाफ है, जिसके चलते उन्होंने न्यायालय का रुख किया है। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली दौरे और अन्य मुद्दों पर भी बयान दिया।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि दिल्ली प्रवास के दौरान केमिकल फर्टिलाइजर की बैठक थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि देशभर के किसानों को किस तरह से सस्ती खाद उपलब्ध करा सकते हैं। दूसरी बैठक जेपीसी की बुलाई गई थी, जिसमें 1/30 अमेंडमेंट बिल है। इसमें कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री अगर 30 दिनों के लिए जेल चला जाता है, तो उसका पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। तीसरी बैठक एस्टिमेट कमेटी की थी, जिसमें स्कूल शिक्षा और समग्र शिक्षा को नवोदय विद्यालयों को देने के लिए चर्चा की गई थी।

राष्ट्रीय रोवरङ्करेंजर जंबूरी को लेकर गरमाई सियासत और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स छत्तीसगढ़ के राज्य अध्यक्ष की नियुक्ति पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि वैधानिक अध्यक्ष होने के नाते मैंने विसंगतियों को उठाया। हमारी परिषद ने स्थगित करने का निर्णय लिया था। मैंने पार्टी और सरकार के वरिष्ठ लोगों के नॉलेज में पहले ही लाया था कि अध्यक्ष पद पांच साल के लिए होता है और अगर मुझे हटाए बिना अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, तो मैं कोर्ट जाऊंगा। उन्होंने बताया कि मैं कोर्ट गया हूं। मुझे हटाए बिना अध्यक्ष की जो घोषणा सरकार ने की है, वह वैधानिक नहीं है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बृजमोहन अग्रवाल की स्थिति देखकर दुख होता है वाले बयान पर पलटवार करते हुए सांसद अग्रवाल ने कहा कि मेरी स्थिति पर किसी को दुखी और खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी स्थिति को बनाना जनता हूं।

ट्रेक्टर से गिरकर मासूम की मौत, मामला दबाने ड्राइवर ने खाद के गड्ढे में दफनाया शव

राजनांदगांव, 9 जनवरी (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के छुरिया थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। ग्राम बिजेपार निवासी मासूम प्रभात अरकरा की मौत ट्रैक्टर से गिरने से हो गई, जिसके बाद आरोपी ट्रैक्टर चालक ने मामले को छिपाने के लिए शव को खाद के गड्ढे में दबा दिया। मासूम बच्चे के पिता ने अपने पुत्र की गुम इंसान की जानकारी संबंधित छुरिया थाने में दी थी। पुलिस की पड़ताल में पूरे मामाले का खुलासा हुआ। पुलिस ने शव बरामद कर लिया है और मामले में आगे की विधि सम्मत कार्रवाई जारी है।

मिली जानकारी के अनुसार, प्रभात अरकरा ट्रैक्टर में बैठा हुआ था। इसी दौरान वह अचानक ट्रैक्टर से गिर पड़ा और पहिए की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक ने घटना की जानकारी परिजनों को देने के बजाय मामले को दबाने के लिए शव को पास के खाद गड्ढे में दफना दिया था।

घटना के बाद मासूम के पिता ने अपने पुत्र के गुमशुदा होने की शिकायत संबंधित थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस की जांच-पड़ताल के दौरान पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर खाद गड्ढे से मासूम का शव बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और आरोपी ट्रैक्टर चालक से पूछताछ की जा रही है। मामले में हत्या, सबूत छिपाने समेत अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

छज्जा गिरने से छात्र की मौत, प्रधान पाठक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई

परिजनों ने नहीं किया अंतिम संस्कार

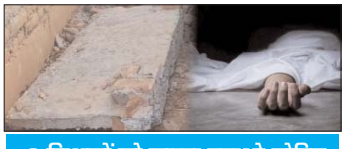

3 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस

बलरामपुर, 9 जनवरी (हाईवे चैनल)। वाड्रफनगर थाना क्षेत्र के शारदापुर गांव में निर्माणधीन आंगनबाड़ी भवन का छज्जा गिरने से गुरुवार को 6वीं कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई थी. इस दर्दनाक घटना को संयुक्त संचालक ने गंभीर लापरवाही मानते हुए प्रधान पाठक ममता गुप्ता पर निलंबन की कार्रवाई की है. वहीं शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. परिजनों ने मृतक के शव का अबतक संस्कार नहीं किया है. उनकी मांग की थी कि शिक्षकों, बिल्डिंग बनाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए. हालांकि अब शिक्षकों पर कार्रवाई के बाद मृतक का अंतिम संस्कार किया जा सकता है।

दरअसल, घटना शारदापुर गांव के खुटहन पारा स्थित माध्यमिक शाला की है, जहां अध्ययनरत छठवीं कक्षा का छात्र आलोक कुमार पिता रमेश देवांगन मध्याह्न भोजन अवकाश के दौरान खेलते-खेलते स्कूल परिसर के पीछे निर्माणाधीन भवन में पहुंच गया. इसी दौरान छज्जा गिरने से उसके नीचे आलोक दब गया. इसकी सूचना अन्य बच्चों द्वारा दिए जाने पर स्कूल के शिक्षक मौके पर पहुंचे, जहां आलोक खून से लथपथ मलबे में दबा मिला। शिक्षकों और ग्रामीणों की मदद से उसे बाहर निकालकर तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पूरे घटनाक्रम में विद्यालय में शिक्षकों की लापरवाही सामने आई।